संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 06 मई, 2026

विषय- पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-47नि0/कैबिनेट-नोट/2026-27,दिनांक 20.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(अ) ऐसे अनुबन्ध, जिनमें मूल्य वृद्धि का प्राविधान नहीं है, में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

(क) रू. 5.00 करोड़ से कम लागत के ऐसे अनुबन्ध, जो बिडिंग डाक्यूमेंट टी.-1 एवं टी.-2 पर गठित हैं-

(1) यह मूल्य समायोजन उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनकी निविदा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व आमंत्रित की गई हो।

(2) गठित अनुबन्धों में 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्य की सी.आर.सी. खण्डीय कार्यालय में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुत की गयी सी.आर.सी. में ठेकेदार/फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(3) खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत सी.आर.सी. का ऑनलाइन या भौतिक सत्यापन बिटुमिन निर्गत करने वाली कम्पनी यथा-इण्डियन ऑयल कारपोरेशन या अन्य सम्बन्धित कम्पनी से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) बिटुमिन की प्रयोग की गयी मात्रा का आंकलन माप पुस्तिका, जॉब मिक्स एवं साइट पर सम्पादित कार्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) मूल्य समायोजन का सूत्र

$V=Q(W_f - W_o)$

जहाँ:

V= बिटुमिनस कार्य के भुगतान के लिये लागत में किया गया समायोजन

Q= वास्तविक प्रयुक्त बिटुमिन की मात्रा (MT में) (अनुमोदित जॉब मिक्स के अनुसार)

W_f= कार्य अवधि के दौरान (इनवॉइस अनुसार) निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

W_o= 01.03.2026 को निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

(ख) एस.बी.डी. के आधार पर प्राप्त होने वाली रू. 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदायें-

(1) यह मूल्य समायोजन उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिनकी निविदा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व आमंत्रित की गई हो।

(2) जिन अनुबन्धों में निर्माण अवधि 18 माह से अधिक होने के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि का प्राविधान पूर्व से है, उनमें किसी अतिरिक्त प्राविधान की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) गठित अनुबन्धों में 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्य की सी.आर.सी.खण्डीय कार्यालय में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तुत की गयी सी.आर.सी. में ठेकेदार/फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

(4) खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत सी.आर.सी. का ऑनलाइन या भौतिक सत्यापन बिटुमिन निर्गत करने वाली कम्पनी यथा-इण्डियन ऑयल कारपोरेशन या अन्य सम्बन्धित कम्पनी से किया जायेगा।

(5) बिटुमिन की प्रयोग की गयी मात्रा का आंकलन माप पुस्तिका, जॉब मिक्स एवं साइट पर सम्पादित कार्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) मूल्य समायोजन का सूत्र

$V=Q(W_f - W_o)$

जहाँ:

V= बिटुमिनस कार्य के भुगतान के लिये लागत में किया गया समायोजन

Q= वास्तविक प्रयुक्त बिटुमिन की मात्रा (MT में) (अनुमोदित जॉब मिक्स के अनुसार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

W_f= कार्य अवधि के दौरान (इनवॉइस अनुसार) निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

W_0= 01.03.2026 को निकटतम आई.ओ.सी.एल. रिफाइनरी का बिटुमिन मूल्य (प्रति MT)

(ग) बिटुमिन के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद के लिये मूल्य समायोजन नहीं किया जायेगा।

(ब) बिटुमिन की दरों में हुयी मूल्य वृद्धि हेतु मूल्य समायोजन के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में कोई अग्रतर आदेश/दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है तो मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-69/2026/544(1)/23-7099/39/2026,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- समस्त अनुभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in